वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 20.10.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

हिन्दुस्तान –दि0 20.10.2024

कई अवैध निर्माण वीडीए टीम ने रोके

वाराणसी। वीडीए की ओर से शनिवार को वाराणसी जोन-5 के मुगलसराय चंदौली के पथरा में तीन बीघा में अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।

वहीं, अर्दली बाजार में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हो रहे निर्माण को सील कर दिया गया। इसके अलावा वार्ड-शिवपुर के हरिहरपुर में बिना नक्शा पास कराए हो रहे निर्माण को सील किया। शिवपुर के सुद्धिपुर में अवैध निर्माण पर रोक लगा दी। जिसका नक्शा पास नहीं था।

हिन्दुस्तान –दि0 20.10.2024

प्रो-पुअर परियोजना का निरीक्षण किया

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को सारनाथ स्थित विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर परियोजना का निरीक्षण किया। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता अरविन्द शर्मा, सहायक अभियन्ता शिवाजी मिश्रा आदि थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 20.10.2024

वीडीए द्वारा अवैध निर्माण व अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध की गई सीलबन्दी व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे 19 अक्टूबर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।इसके तहत वार्ड-सिकरौल, भूखण्ड सं0 एस0-3/12 व 3/14, अर्दली बाजार के अन्तर्गत अपर्णा सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था ह अवैध निर्माण के विरुद्ध 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ एवं धारा-28 के अन्तर्गत विकास कार्य रोकने हेतु दिनांक 14/10/2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसके विरुद्ध 19/अक्टूबर को 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त वार्ड-शिवपुर, मौजा-हरिहरपुर के अंतर्गत शशांक कुमार सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह उर्फ विपत पटेल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जी+1 तल का निर्माण पूर्ण करते हुए द्वितीय तल पर आर0सी0सी0 कालम का निर्माण कर स्लैब डालने का कार्य किया जा रहा था। उक्त अनाधिकृत निर्माण पर पक्ष को 30प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 एवं 28 के अन्तर्गत दिनांक 14.06.24 को क्रमशः कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गई थी, परन्तु पक्ष द्वारा लगातार चोरी छिपे निर्माण कार्य किये जाने पर उपरोक्त अनधिकृत निर्माण को सुसंगत धारा के अंतर्गत सील बंद किया गया ।इसी क्रम में वार्ड-शिवपुर, मौजा-सुद्धिपुर ललित कुमार उपाध्याय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 3040 वर्ग फीट में प्रथम तल पर छत डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसके विरुद्ध पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु पक्ष द्वारा लगातार चोरी छिपे निर्माण कार्य किये जाने पर उपरोक्त अनधिकृत निर्माण को सुसंगत धारा के अंतर्गत सील बंद किया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता श्री अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। इसके अलावा वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा 03 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहतवार्ड-मुगलसराय, जिला-चन्दौली, मौजा-पथरा के अन्तर्गत अज्ञात प्लाटिंगकर्ता द्वारा लगभग 03 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थल पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता श्री पी0एन0दुबे, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश—दि0 20.10.2024

सचिव वाविप्रा ने किया प्रो-पुअर परियोजना का निरिक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा 19 अक्टूबर को सारनाथ स्थित विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर परियोजना का निरिक्षण किया गया त्प्रो-पुअर परियोजना के अंतर्गत 286 वेंडर्स को कार्ट उपलब्ध कराया गया, जिसका लोकार्पण मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 20/10/2024 को किया जाएगा त सचिव महोदय द्वारा वेंडर्स को निर्देशित किया गया कि जिस क्रम में

कार्ट रखे गये है वेंडर्स उसी क्रम में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए व्यवसाय करें ।मौके पर अधिशासी अभियन्ता अरविन्द शर्मा, सहायक अभियन्ता शिवाजी मिश्रा व सिविल इन्जीनियर एल0 बी0 दुबे उपस्थित रहे।

अमर उजाला –दि0 20.10.2024

वीडीए ने अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को जोन-5 में 3 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि वार्ड-मुगलसराय चंदौली, मौजा-पथरा में अज्ञात लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। इस दौरान अवर अभियंता पीएन दुबे मौजूद रहे।

उधर, वीडीए की प्रवर्तन टीम ने शनिवार को जोन-1 में अर्दली बाजार,हरिहरपुर, सुद्धिपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण को सील किया। इसके साथ चेतावनी दी। संवाद

वीडीए सचिव ने प्रो-पुअर परियोजना का किया निरीक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को सारनाथ स्थित प्रो-पुअर परियोजना का निरीक्षण किया। प्रो-पुअर परियोजना के अंतर्गत 286 वेंडर्स को कार्ट उपलब्ध कराए गए। सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने वेंडर्स को निर्देशित किया गया कि जिस क्रम में कार्ट रखे गये हैं, उसी क्रम में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए व्यवसाय करें। संवाद

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 20.10.2024

वेंडर बोले-पीएम ने दिया दिवाली का तोहफा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सारनाथ में प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना से वेंडरों को कार्ट (ठेला) मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वेंडर कार्ट मिलने के साथ तय स्थान को सजाते दिखे। वहां पहुंचे वेंडरों के बच्चे अपने पापा की नई दुकान देखकर काफी उत्साहित थे। वेंडरों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें दिवाली पर तोहफा दिया है। शनिवार को वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा अपनी टीम के साथ सारनाथ में जमे रहे। वह तय स्थान पर लगे कार्ट को देखने के साथ सुव्यवस्थित कराते रहे।

सारनाथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रो पुअर पर्यटन विकास योजना से सुंदरीकरण का काम कराने के साथ गरीब वेंडरों को कार्ट दिया जा रहा है जिससे अपने परिवार को पालन-पोषण कर सकें। वीडीए सचिव ने बताया कि शनिवार को चयनित सभी पात्रों को कार्ट देने के साथ तय स्थान पर रखवा दिया गया है। साथ ही उन्हें स्थान नहीं बदलने की चेतावनी दी गई है।

सारनाथ में तय स्थान पर कार्ट (ठेला) रखने का निर्देश देते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा।

- वीडीए सचिव ने तय स्थान पर व्यवस्थित कार्ट लगाने को कहा
- सारनाथ में दिखेगा एक डिजाइन में सारनाथ से जाए अच्छा संदेश

एक ठेले पर हम कारोबार कर रहे थे लेकिन कार्ट मिलने से रोजगार बढ़ेगा। आने वाले पर्यटकों को देखने में अच्छा लगेगा। सरकार का सराहनीय कदम है। -विष्णु शंकर

परिवार के पालन-पोषण के लिए हम परेशान थे। अब स्थान और कार्ट दोनों मिलने से परिवार को आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। -सुरेश कुमार

पटरी के किनारे दुकान लगाने पर अक्सर नगर निगम और पुलिस कर्मी भगा देते थे। अब सरकार ने कार्ट देने के साथ स्थान तय कर दिया है। इससे परिवार भी उत्साहित है। -प्रकाश चंद

अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल पर काफी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। बेतरतीब ठेला लगने से परेशानी होती थी। अब स्थान के साथ कार्ट मिला है। इससे पर्यटकों में अच्छा संदेश जाएगा। - राजेश कुमार

दैनिक जागरण –दि0 20.10.2024

अवैध प्लाटिंग की तोड़ी बाउंड्री, तीन निर्माण सील

जागरण संवाददाता, वाराणसी: वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शनिवार को अवैध निर्माण और जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन तीन के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि चंदौली जिले के मुगलसराय वार्ड में पथरा में तीन बीघा में अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग हो रही थी। पूछने पर कोई सामने नहीं आया। सभी बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया गया।

जोन एक के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश ने बताया कि सिकरौल वार्ड के अर्दली बाजार में अर्पणा सिंह वीडीए से नक्शा पास कराए बगैर अवैध तरीके से अवैध निर्माण कर रही थीं। उन्हें 14 अक्टूबर को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था लेकिन निर्माण जारी था। शिवपुर वार्ड के हरिहरपुर में शशांक कुमार सिंह अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। इन्हें 14 जून को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था लेकिन निर्माण जारी रहा। यहीं के सुद्धिपुर के ललित कुमार उपाध्याय अवैध निर्माण कर रहे थे, सभी को सील कर दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट –दि0 20.10.2024

अब वीडीए डेवलप करेगा ग्रीन बिल्डिंग, पॉल्यूशन को देंगे मात

बायो गैस सिस्टम से लेकर बायो प्लांट लगाए जाएंगे, सोलर पैनल से लैस होंगी बिल्डिंगें

varanasi@inext.co.in

VARANASI (19 Oct): सिटी के सुनियोजित डेवलप के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ग्रीन सिटी डेवलप करेगा. इसमें सोलर पैनल से लेकर, वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी और ग्रीन एरिया शामिल हैं. नई बिल्डिंग में यह रूल्स फालो किए जाएंगे. इसके लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ने हामी भरी है. इस सिस्टम से न सिर्फ ग्रीनरी का ग्राफ बढ़ेगा, बल्कि पॉल्यूशन भी दूर होगा. वीडीए ने इसके लिए सिटी एरिया के चार स्थानों को चिह्नित किया है. इनमें गंजारी, सारनाथ, हरहुआ, चांदमारी शामिल हैं. इनमें से गंजारी में काम शुरू हो गया है. ग्रीनरी को फोकस रखकर कार्य शुरू हो गया है. वाराणसी विकास प्राधिकरण के टाउन प्लानर प्रभात कुमार ने बताया कि अब जो टाउनशिप या फिर बिल्डिंग बनेंगी, वह ग्रीनरी को प्लानिंग कर ही बनाई जाएगी.

फ्लाई ऐश ईंट यूज होगी

क्रेडाई के पूर्वांचल अध्यक्ष आकाशदीप ने बताया कि फ्लाई ऐश ईंटें लाल ईंटों की तुलना में बेहतर थर्मल इन्सुलेशन प्रदान करती हैं. फ्लाई ऐश ईंटों से बनी इमारतें अंदर के तापमान को बेहतर बनाए रखती हैं, जिससे हीटिंग और कूलिंग के लिए ऊर्जा लागत कम होती है. समय की बचत होने के साथ ही भूजल दोहन फ्लाई ऐश ईंट बचा रही है. आने वाली योजनाओं में भी फ्लाई ऐश ईंट को ही यूज किया जाएगा. खराब पदार्थों से तैयार हो रही फ्लाई ऐश ईंटों को तरी करने की जरूरत नहीं पड़ती. इनमें सीमेंट की खपत सामान्य मैटेरियल से 60 फीसद कम होती है.

i UPDATE

यही नहीं मजबूती में सामान्य बिल्डिंगों से कहीं अधिक मजबूत होती है.

पॉल्यूशन पर फोकस

ग्रीन बिल्डिंग में पॉल्यूशन पर भी फोकस होगा. एसटीपी भी नई बिल्डिंगों में लगाई जाएंगी. एसटीपी का पानी रिसाइक्लिंग कर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाएगा. इससे ग्रीनरी बरकरार रहती है. बिल्डिंगों में सोलर पैनल का यूज होगा. पावर सेविंग वाले गैजेट्स लगाए जाएंगे, जैसे एलईडी वगैरह. इसके अलावा बायो वेस्ट प्लांट और बायो डीजल प्लांट भी लगाया जाएगा. ग्रीन बिल्डिंग में सभी मानकों का पालन किया जाएगा, जिससे सिटी में ग्रीनरी का ग्राफ बढ़ सके.

> **ग्रीनरी का ग्राफ बढ़ाने के लिए वीडीए का गंजारी, सारनाथ, चांदमारी और हरहुआ में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें एसटीपी, बायो गैस प्लांट से लेकर सब कुछ डेवलप किया जा रहा है.**
>
> **प्रभात कुमार,**
> टाउन प्लानर, वीडीए

ग्रीन बिल्डिंग

- एसटीपी से लैस होंगी.
- एसटीपी का पानी रिसाइकिल किया जाएगा.
- फ्लाईऐश ईंट से बनेंगी बिल्डिंगें.
- सोलर पैनल लगाया जाएगा.
- वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम.
- पावर सेविंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स.
- बायो वेस्ट प्लांट.
- बायो डीजल का प्लांट.

इससे यह होगी बचत

- भूजल दोहन 50 फीसद कम होता है.
- बिल्डिंग निर्माण मे चालीस फीसद समय कम लगता है.
- लागत मे दस से बीस फीसद तक बचत.
- मजबूती मे सबसे मजबूत.
- बिल्डिंग नही होती है फ्लाई ऐश ईंट से भारी.
- पर्यावरण 40 फीसद तक कम होता है.

> **ग्रीन बिल्डिंग में बायो गैस, प्लांट, सोलर पैनल, एसटीपी से पानी की रिसाइक्लिंग सिस्टम के साथ ही पॉल्यूशन कम हो इसका ध्यान दिया जा रहा है. अब शहर में जो भी बिल्डिंगें बनेंगी, सभी में ग्रीनरी का पालन किया जाएगा.**
>
> **आकाशदीप,**
> अध्यक्ष, पूर्वांचल क्रेडाई

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जनसंदेश टाइम्स –दि0 20.10.2024

सारनाथ के 268 स्ट्रीट वेंडर्स को मिला कार्ट, पीएम करेंगे आज लोकार्पण

वाराणसी। सारनाथ के 268 स्ट्रीट वेंडर्स को शनिवार को कार्ट मिल गया है। वीडीए को विश्व बैंक सहायतित प्रो-पुअर परियोजना के अन्तर्गत सारनाथ के वेंडर्स के लिए पर्यटन विभाग की सहायता से जहां इस कार्ट को बनवाया गया,वहीं इसे प्रमाण पत्र के रूप में उन्हें प्रदान भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण करेंगे।

इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता, अरविन्द शर्मा, सहायक अभियन्ता शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, विजय सिंह व सिविल इन्जीनियर एल. बी. दुबे उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 20.10.2024

विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। शानिवार को वार्ड-सिकरौल, भूखण्ड सं0 एस0-3/12 व 3/14, अर्दली बाजार के अन्तर्गत अपर्णा सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा था द्य अवैध निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ एवं धारा-28 के अन्तर्गत विकास कार्य रोकने हेतु दिनांक 14/10/2024 को नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसके विरुद्ध आज दिनांक 19/10/2024 को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी । वही दुसरी तरफ वार्ड-शिवपुर, मौजा-हरिहरपुर के अंतर्गत शशांक कुमार सिंह पुत्र राजेश्वर सिंह उर्फ विपत पटेल द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए जी+1 तल का निर्माण पूर्ण करते हुए द्वितीय तल पर आर0सी0सी0 कालम का निर्माण कर स्लैब डालने का कार्य किया जा रहा था। उक्त अनाधिकृत निर्माण पर पक्ष को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 एवं 28 के अन्तर्गत दिनांक 14.06.24 को क्रमशः कारण बताओं एवं निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दी गई थी, परन्तु पक्ष द्वारा लगातार चोरी छिपे निर्माण कार्य किये जाने पर उपरोक्त अनधिकृत निर्माण को सुसंगत धारा के अंतर्गत सील बंद किया गया । उक्त के क्रम में वार्ड-शिवपुर, मौजा-सुद्धिपुर ललित कुमार उपाध्याय द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 30×40 वर्ग फीट में प्रथम तल पर छत डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसके विरुद्ध पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु पक्ष द्वारा लगातार चोरी छिपे निर्माण कार्य किये जाने पर उपरोक्त अनधिकृत निर्माण को सुसंगत धारा के अंतर्गत सील बंद किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता अतुल मिश्रा, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जनमानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।